न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 103 / 2023 तारीख रजू 01.12.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. ज्वाला प्रसादगर्ग पुत्र श्री कल्याण मल गर्ग (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स संजय मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर सामान्य चिकित्सालय के सामने आलनपुर सवाई माधोपुर।
2. विनोद कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन मैसर्स यूनिक फार्मा 29, दवा बाजार, टोंक रोड बजरिया, निवासी जी–9 केशव नगर, सवाई माधोपुर।
3. मुकेश मोदी पुत्र श्री बाबू लाल मोदी मैसर्स एस.बी. एसोसिएट छोटे राजबाग के पास, शहर सवाई माधोपुर
4. अरूण कुमार तुलस्यान पुत्र श्री मक्खन लाल तुलस्यान मैसर्स ओरियन बायोटेक प्रा0लि0, 4 तुलस्यान हाउस, प्लाट नं. 49 / 1, अश्वमेघ इस्टेट, रोहन बीआरसी के पीछे, चांगोदार, अहमदाबाद (गुजरात) 382213 निवासी ई–81 आकाश टावर, जज बंगला रोड सेटेलाइट अहमदाबाद सिटी बोडकदेव, अहमदाबाद (गुजरात) 380054
5. श्री जयकुमार हसमुखभाई ठक्कर मैसर्स अवयुक्ता लाईफ केयर, प्लाट नं0 6 एसआर नं. 420, 496 मारूती इस्टेट के पीछे, ताजपुर रोड, चांगोदार अहमदाबाद (गुजरात) 382213

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 22/3/24

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 06.04.2023 को समय 02.35 पी.एम. पर मैसर्स संजय मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, सामान्य चिकित्सालय के सामने, सवाई माधोपुर पर पहूँचा। मौके पर एक व्यक्ति

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट

उपस्थित मिला जिसे आवेदक ने अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम ज्वाला प्रसाद गर्ग पुत्र श्री कल्याण मल गर्ग तथा फर्म का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु Protein Powder (Gorgia-Plus) के दुकान में लगभग 10 डिब्बे रखे हुए थे। Protein Powder (Gorgia-Plus) में गुणवत्ता/निर्माण का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 250 ग्राम के 08 डिब्बे खरीदकर उसकी कीमत 2280/– रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है, उपस्थित गवाहान श्री अमरसिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक ने तस्दीक कर स्वयं हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 250 ग्राम के 08 डिब्बे Protein Powder (Gorgia-Plus) को मूल ही लेकर 04 भाग तैयार कर आवेदक द्वारा 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक H-2795 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. H-2795 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म सं 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री ज्वाला प्रसाद गर्ग (प्रोपइराईटर) ने भी पढकर समझकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ एक लिफाफे में सी मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 सील बन्द लिफाफा मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर के यहॉ जमा करवा रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के दो सील बन्द डिब्बे (।। वे ।।। पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील

न्याय निर्णयन अधिकारी

मोहर को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/940 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1396/एक्ट/2023/2799 दिनांक 14.07.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Protein Powder (Gorgia-Plus) मिस ब्राण्ड पाया गया। उक्त प्रकरण में उपर अभियुक्त ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ Protein Powder (Gorgia-Plus) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये वकील उपस्थित हुये तथा बिना लिखित जवाब पेश किये मौखिक बहस सुनने का निवेदन करने पर मौखिक बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति के Protein Powder (Gorgia-Plus) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

वकील अभियुक्तगण द्वारा बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त संख्या 1 की दुकान से Protein Powder (Gorgia-Plus) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति का माना गया है जबकि के सेम्पल अवमानक प्रकृति का नहीं है केवल सेम्पल में न्यूट्रिशियन फेक्ट की अप्रोक्सीमेट वेल्यू की भिन्नता के कारण ही सेम्पल मिसब्राण्ड आया है। हमारे सेम्पल में काफी छोटी गलती हुई है जिसके लिए अभियुक्त संख्या 1 लगायत 5 की ओर से संपूर्ण जिम्मेदारी अभियुक्त संख्या 5 की है। अतः प्रकरण में अभियुक्त संख्या 5 को न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्याएलएस/1396/एक्ट/2023/2799 दिनांक

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

14.07.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Protein Powder (Gorgia-Plus) मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है। अभियुक्त संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अभियुक्त संख्या 5 ने सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए बहस में जरिये वकील जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण में न्यूनत्तम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Protein Powder (Gorgia-Plus) का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अभियुक्त संख्या 5 द्वारा सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेने पर अभियुक्त संख्या 5 पर 40,000/–रू0 (अक्षरे चालीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/3/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर